BROADCASTING STANDARDS AUTHORITY
TE MANA WHANONGA KAIPĀHO

माचर् 2020

चुनाव कार्यक्रम प्रसारण विधि संहिता

ब्रॉडकॉस्टर्स और बीएसए द्वारा विकसित और 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने के लिए जारी

Broadcasting Standards Authority
Te Mana Whanonga Kaipāho

Level 2 | 119 Ghuznee Street
Wellington 6011 | New Zealand

T: (04) 382 9508 | **FREEPHONE:** 0800 366 996
F: (04) 382 9543 | **E:** info@bsa.govt.nz

www.bsa.govt.nz

परिचय

प्रसारण अधिनियम 1989 में प्रत्येक प्रसारक से यह अपेक्षा की गई है, कि वह अपने कार्यक्रमों और उनके प्रस्तुतिकरण को स्वस्थ विचारधारा और शिष्टता, कानून और व्यवस्था, और निजता के मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रसारण मानक प्राधिकरण (BSA) मानक नियमों को लागू कराने, औपचारिक शिकायतों के समाधान कराने, और प्रसारकों को उपयुक्त प्रसारण विधि संहिता बनाने व पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिम्मेदार है।

चुनाव कार्यक्रम सामग्री के प्रसारण को नियमित करने वाले महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देना इस प्रसारण विधि संहिता का उद्देश्य है। किसी भी चुनाव कार्यक्रम प्रसारण का प्रसारण मानकों के अनुरुप होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रसारक की है।

न्यूज़ीलैंड अधिकार विधेयक अधिनियम 1990 की धारा 14 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लोकतांत्रिक समाज में यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है और सामान्य चुनाव को देखते हुए यह खासतौर से महत्त्वपूर्ण है जबकि राजनैतिक दल और उम्मीदवार, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं और जागरुकता से वोट देने के फैसले करने के लिए दर्शक उपयुक्त सूचनाएं चाहते हैं। प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेते समय इस पर विचार किया जाएगा और न्यूज़ीलैंड अधिकार विधेयक अधिनियम प्रयोग किया जाएगा।

कोई चुनाव कार्यक्रम इस संहिता में दिए एक अथवा अधिक प्रसारण मानकों के अनुरुप न होने पर सीधे बीएसए से शिकायत की जा सकती है। बीएसए ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करेगा।

इस संहिता के बारे में

चुनाव कार्यक्रमों पर अन्य कार्यक्रमों के समान प्रसारण मानक लागू होते हैं।

इसलिए, इस संहिता को अन्य प्रसारण विधि संहिताओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए: फ्री-टू-एयर टेलीविजन, रेडियो, और न्यूज़ीलैंड कोडबुक में प्रसारण मानकों में पे टेलीविजन। यह कोडबुक, प्रसारण मानक प्राधिकरण के पास मुफ्त उपलब्ध है और इसे www.bsa.govt.nz से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका एक अपवाद है: सार्वजनिक महत्त्व के विवादास्पद मुद्दों पर अनेक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा (उन संहिताओं में 'संतुलन' का मानक) चुनाव कार्यक्रम (प्रसारण अधिनियम की धारा 73 देखें) पर लागू नहीं होता।

सामान्य चुनावों के विशेष संदर्भ को देखते हुए निष्पक्षता और सटीकता जैसे प्रसारण मानक, स्वतंत्र राजनैतिक अभिव्यक्ति और बहस के महत्त्व को सम्मान देते हुए चुनाव कार्यक्रम लागू होंगे।

चुनाव कार्यक्रम के बारे में सीधे बीएसए से शिकायतें की जा सकती हैं।

‘चुनाव कार्यक्रम’ क्या है?

‘चुनाव कार्यक्रम’ का अर्थ ऐसे कार्यक्रम से है जो:

- वोटरों को किसी पार्टी को वोट देने या एक निर्वाचन उम्मीदवार चुनने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करता है अथवा प्रोत्साहित या प्रेरित करता प्रतीत होता है; अथवा
- वोटरों को किसी पार्टी को वोट न देने या एक निर्वाचन उम्मीदवार न चुनने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करता है अथवा प्रोत्साहित या प्रेरित करता प्रतीत होता है; अथवा
- किसी निर्वाचन उम्मीदवार या किसी पार्टी के लिए समर्थन की पैरवी करता है; अथवा
- किसी निर्वाचन उम्मीदवार या किसी राजनैतिक पार्टी का विरोध करता है; अथवा
- किसी चुनाव के संबंध में आयोजित की गई या की जाने वाली बैठकों की सूचना देता है।

(प्रसारण अधिनियम की धारा 69 देखें).

चुनाव कार्यक्रम राजनैतिक पार्टियों अथवा निर्वाचन उम्मीदवारों के लिए टेलीविजन या रेडियो पर प्रसारित छोटे प्रचार/अभियान क्लिप या विज्ञापन/एडवर्टोरियल के रुप में हो सकता है। इन कार्यक्रमों के बारे में सीधे बीएसए से शिकायत की जा सकती है।

अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्यक्रम केवल वे हैं जो राजनैतिक पार्टियों अथवा उम्मीदवारों के लिए प्रसारित किए जाते हैं– और प्रसारकों या अन्य तीसरी पार्टियों की ओर से प्रसारित कार्यक्रम नहीं हैं। (निर्वाचन आयोग बनाम वाट्सन एंड जोन्स, CA239/2015 [2016] NZCA 512, 20 अक्तूबर 2016).

चुनावी मामलों के बारे में अन्य कार्यक्रम (जैसे कि समाचार, टिप्पणी, समसामयिक मामले, मनोरंजन या वृत्तचित्र) चुनाव कार्यक्रम संहिता के अधीन नहीं हैं। हालांकि उनको अन्य उपयुक्त प्रसारण मानकों का पालन करना तब भी अनिवार्य है जो न्यूज़ीलैंड कोडबुक में प्रसारण मानकों में दिए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में शिकायतें पहले प्रसारक से की जानी चाहिए।

‘चुनाव’ का अर्थ प्रतिनिधियों के सदन के सदस्यों या सदस्य के सामान्य चुनाव अथवा उप-चुनाव से है। स्थानीय निकाय चुनाव, चुनाव कार्यक्रम संहिता में शामिल नहीं हैं।

चुनाव कार्यक्रम केवल ‘चुनाव अवधि’ (अधिसूचना के दिन (जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है) से शुरु और मतदान के दिन से पिछले दिन के अंत में समाप्त होने वाली अवधि) के दौरान ही प्रसारित किए जा सकते हैं।

अन्य प्रकार के चुनावी विज्ञापन: विज्ञापन मानक प्राधिकरण

टेलीविजन और रेडियो के अलावा मीडिया में चुनावी विज्ञापन (जैसे कि प्रिंट, बिलबोर्ड, परचे, सिनेमा और ऑनलाइन-सोशल मीडिया सहित), इस संहिता में शामिल नहीं हैं।

तीसरी पार्टियों (अर्थात जो उम्मीदवार/राजनैतिक पार्टियां न हों) द्वारा किसी मीडिया (टेलीविजन और रेडियो सहित) में चुनावी विज्ञापन भी इस संहिता में शामिल नहीं हैं।

ऐसे चुनावी विज्ञापनों के बारे में शिकायतें, जहां अनुमति हो, विज्ञापन मानक प्राधिकरण से की जानी चाहिए। (संपर्क देखें)

संपादकीय चुनावी सामग्री: मीडिया काउंसिल

न्यूज़ीलैंड मीडिया काउंसिल के सदस्यों के प्रकाशनों में संपादकीय सामग्री में चुनावी मामलों के बारे में शिकायतें न्यूज़ीलैंड मीडिया काउंसिल शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती हैं (संपर्क देखें)।

चुनाव आयोग

चुनाव कार्यक्रम से संबंधित अन्य अपेक्षाओं (प्रसारण अधिनियम के अंतर्गत) अथवा चुनावी विज्ञापनों (चुनाव अधिनियम के अंतर्गत) जैसे कि प्रोमोटर के वक्तव्य, वित्तपोषण और प्राधिकार के बारे में शिकायतें या प्रश्न चुनाव आयोग से की जानी चाहिए (संपर्क देखें)।

चुनाव संबंधित सामग्री, और शिकायतें किए जाने के बारे में ज्यादा जानकारी प्रसारण मानक प्राधिकरण की वेबसाइट (www.bsa.govt.nz) पर उपलब्ध है।

औपचारिक शिकायत के आधार

औपचारिक शिकायतें, नीचे दिए गए प्रसारण मानकों में एक या ज्यादा का पालन करने की जिम्मेदारी में प्रसारक की विफलता पर आधारित होती हैं।

मानक E1 - अन्य संहिताओं में शामिल चुनाव कार्यक्रम

मानक E2 - चुनाव कार्यक्रम पैरवी- राय अथवा पक्षसमर्थन से विशिष्ट तथ्यात्मक जानकारी

मानक E3 - बदनाम करना

मानक E4 - भ्रामक कार्यक्रम

औपचारिक शिकायत कैसे करें

चुनाव कार्यक्रम के संबंध में औपचारिक शिकायत में निम्न बातें ज़रुरी हैं:

- लिखित में हों
- सारण के बाद 60 कार्यदिवसों के अंदर सीधे बीएसए के यहां प्रस्तुत करें

औपचारिक शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए:

- कि शिकायत, एक चुनाव कार्यक्रम के बारे में औपचारिक शिकायत है
- कार्यक्रम का नाम
- प्रसारण में शामिल पार्टी अथवा उम्मीदवार
- प्रसारण कहां से किया गया (उदा. स्टेशन या चैनल)
- प्रसारण की तारीख और समय
- संबंधित प्रसारण संहिता और/या इस संहिता का/के मानक (जिनका कथित उल्लंघन हुआ हो), और उसके कारण।

सभी प्रसारण संहिताएं बीएसए के यहां, और इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जहां शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने के लिए 60 कार्यदिवस दिए जाते हैं, लेकिन **चुनाव कार्यक्रम की प्रकृति को देखते हुए प्रसारण के बाद शिकायत यथासंभव जल्दी से जल्दी दर्ज कराई जानी चाहिए।**

चुनाव कार्यक्रम संहिता

निम्न मानक, न्यूज़ीलैंड में सभी चुनाव कार्यक्रम प्रसारणों पर लागू होते हैं।

मानक

मानक E1 – अन्य संहिताओं में सम्मिलित चुनाव कार्यक्रम

किसी चुनाव कार्यक्रम पर, सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों पर विविध महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अपेक्षा को छोड़कर, अन्य प्रसारण विधि संहिताओं के सभी संबंधित प्रावधान लागू होंगे

तीव्र बहस, पैरवी और राजनैतिक मत की अभिव्यक्ति, एक लोकतांत्रिक समाज का वांछनीय और अनिवार्य अंग है और इस संदर्भ का ध्यान रखते हुए प्रसारण मानक लागू किए जाएंगे।

दिशानिर्देश:

E1a इस संहिता में दिए किसी विशेष दिशानिर्देश के अलावा, न्यूज़ीलैंड कोडबुक में प्रसारण मानकों में दिशानिर्देश और टिप्पणियां, इस मानक E1 के अंतर्गत कार्यक्रमों के मूल्यांकनों पर लागू होंगी।

E1b सटीकता के मानक के तहत मूल्यांकन:

- भावी आचरण के रूप में किए गए वादे (उदा. चुनावी वादे), जो न तो तथ्यपरक कथन न ही राय हों, उनका सटीकता मानक के सापेक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इन कथनों पर मानक E2 के तहत विचार करना चाहिए। हालांकि तथ्यपरक कथन जिस पर भावी वादा आधारित हो, उस पर सटीकता मानक लागू हो सकता है।
- इस बात का मूल्यांकन कि क्या कोई चुनाव कार्यक्रम कथन वास्तविक तथ्यपरक बिंदु है या भ्रामक है, यह इस पर आधारित होगा कि किस तरह से कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, चुनाव अभियान के संदर्भ में उसकी व्याख्या करता है (अर्थात क्या कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, कथन की शाब्दिक व्याख्या करता है या पार्टी/उम्मीदवार की नीतियों के पारदर्शीप्रचार के रूप में या किसी विशेष पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में)।
- इस बात का मूल्यांकन कि क्या सटीकता की अपेक्षाएं पूरी की गई हैं, यह प्रत्येक कथन के आधार पर (और फिर पूरे कार्यक्रम के संदर्भ को देखते हुए) किया जाएगा।
- निम्न संदर्भगत चीज़ें उपयुक्त हो सकती हैं:
    - पैरवी के प्रभाव के लिए कमतर करके या बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाना
    - क्या संबंधित कथन, किसी चुनावी मुद्दे या पार्टी की नीति से संबंधित है जिसके बारे में दर्शकों या श्रोताओं का तार्किक रूप से जानना अपेक्षित हो सकता हो (बहकाने की संभावना कम करते हुए)।

मानक E2 – चुनाव कार्यक्रम पैरवी- राय या पैरवी से विशिष्ट तथ्यपरक जानकारी

चुनाव कार्यक्रम में बहस, पैरवी और राय शामिल हो सकते हैं, लेकिन तथ्यपरक जानकारी, राय या पैरवी से स्पष्ट अलग तरह की होनी चाहिए।

तथ्यपरक जानकारी सत्यापन योग्य होनी आवश्यक है।

दिशानिर्देश:

E2a तथ्यपरक जानकारी के पक्ष में साक्ष्य (उदा. अकादमिक अध्ययन, विशेषज्ञ की राय) उपयुक्त और ठोस होने चाहिए और आसानी से उपलब्ध और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए।

E2b किसी पार्टी या उम्मीदवार के वादों का प्रचार करने वाले चुनावी विज्ञापन, अपनी विशेष उच्च राजनैतिक प्रकृति के कारण प्राय: पैरवी के लिए तथ्यपरक जानकारी के बजाय अतिशयोक्तिपूर्ण उपायों का सहारा लेते हैं (और प्राय: इस रूप में आसानी से पहचाने जा सकते हैं)।

E2c इस मानक के पालन का मूल्यांकन प्रत्येक कथन के आधार पर (और फिर पूरे कार्यक्रम के संदर्भ को देखते हुए) किया जाएगा।

E2d इस बात का मूल्यांकन कि कोई कथन तथ्यपरक जानकारी या राय या पैरवी में से किस रूप में स्पष्ट पहचानयोग्य है, इसमें निम्न पर विचार किया जा सकता है:

- कार्यक्रम का संदर्भ और प्रस्तुतिकरण (लहजा सहित)
- कथन की शुद्धता (सटीक शब्दावली)
- क्या कथन को सही या गलत प्रमाणित किया जा सकता है (तथ्य) या विवादास्पद है या किसी का दृष्टिकोण (राय या पैरवी) है
- कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता इसे किस प्रकार समझेगा
- कार्यक्रम में प्रचारित पार्टी/उम्मीदवार की राजनैतिक पहचान, प्रतिष्ठा और नीतियां
- क्या कथन को तर्कसंगत रूप से राजनैतिक राय या पैरवी की अभिव्यक्ति माना जा सकता है जो किसी पार्टी/उम्मीदवार को वोट देने हेतु वोटरों को प्रेरित करने के लिए की गई हो।
- क्या उस विशेष बिंदु की अन्य महत्त्वपूर्ण कवरेज की गई (उदा. टेलीविजन, रेडियो या अन्य प्लेटफार्म) जिसके माध्यम से दर्शकों या श्रोताओं का उनके वोट देने का फैसला करने के बारे में दूसरे मतों और राय से अवगत होना तर्कसंगत रूप से अपेक्षित हो सकता हो।

मानक E3 – बदनाम करना

जहां कोई चुनाव कार्यक्रम किसी राजनैतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार का विरोध कर सकता है, वहीं वह ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार को बदनाम करती हों

दिशानिर्देश:

E3a "बदनाम करना" को किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार की प्रतिष्ठा गिराने के रूप में परिभाषित किया गया है।

E3b सामान्य चुनाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में उच्चस्तरीय निंदा का प्रयोग किया जाता है, प्रायः जिसमें दुर्भावना और नीचा दिखाने का भाव होता है, मानक के विपरीत साबित करने के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य होगा कि प्रसारण में किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार को बदनाम किया गया है।

E3c यह मानक ऐसी सामग्री का प्रसारण रोकने के लिए नहीं है जो:

- तथ्यपरक हो
- किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार हेतु गंभीर टिप्पणी, विश्लेषण, राय या पैरवी की वास्तविक अभिव्यक्ति हो
- मान्य हास्य या व्यंग्य हो

मानक E4 –भ्रामक कार्यक्रम

कोई चुनाव कार्यक्रम किसी मौजूदा कार्यक्रम, प्रारुप अथवा मशहूर हस्ती की इस प्रकार नकल नहीं कर सकता जिससे भ्रामकता की संभावना हो

दिशानिर्देश:

E4a इसका मूल्यांकन, कि क्या किसी चुनाव कार्यक्रम ने किसी मौजूदा कार्यक्रम, प्रारुप अथवा मशहूर हस्ती की इस प्रकार नकल की है कि जिससे भ्रामकता की संभावना हो, यह इस पर आधारित होगा कि किस तरह से कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, इसकी व्याख्या करता है (अर्थात क्या कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता इसे समझता है कि वह चुनावी विज्ञापन देख रहा है जिसमें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है) ।

E4b इस मानक के तहत कार्यक्रमों के मूल्यांकन में, निम्न पर विचार किया जाएगा, जहां उपयुक्त हो

- किसी नकल की प्रकृति और सीमा
- क्या कार्यक्रम में पार्टी/उम्मीदवार के बैनर, नारे, विज्ञापन, या ऐसी ही अन्य पहचानयोग्य सामग्रियों को शामिल किया गया।

सभी मानकों पर लागू दिशानिर्देश:

G1a इस चुनाव कार्यक्रम प्रसारण विधि संहिता के तहत शिकायतों का आकलन, सामान्य चुनाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेष महत्त्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। चुनाव में राजनैतिक भाषण को दिए गए उच्च महत्त्व को देखते हुए, इस संहिता के तहत चुनाव कार्यक्रम द्वारा कोई मानक भंग किया जाना सिद्ध करने के लिए एक सुसंगत उच्च सीमा अवश्य पार की जानी चाहिए (अर्थात कार्यक्रम से उत्पन्न नुकसान या संभावित नुकसान गंभीर अवश्य होना चाहिए) ।

संपर्क

चुनाव कार्यक्रम शिकायतें

Broadcasting Standards Authority

पो. बॉक्स 9213
वेलिंगटन 6141
फोन: (04) 382 9508
फ्रीफोन: 0800 366 996
ईमेल: info@bsa.govt.nz
वेब: www.bsa.govt.nz

चुनाव विज्ञापन शिकायतें

Advertising Standards Authority

पो. बॉक्स 10 675
वेलिंगटन 6143
फोन: (04) 472 7852
फ्रीफोन: 0800 234 357
ईमेल: asa@asa.co.nz
वेब: www.asa.co.nz

संपादकीय सामग्री शिकायतें

New Zealand Media Council

पो. बॉक्स 10 879
वेलिंगटन 6011
फोन: (04) 473 5220
फ्रीफोन: 0800 969 357
ईमेल: info@mediacouncil.org.nz
वेब: www.mediacouncil.org.nz

अन्य चुनावी जानकारी

Electoral Commission

पो. बॉक्स 3220
वेलिंगटन 6140
फोन: (04) 495 0030
ईमेल: enquiries@elections.govt.nz
वेब: www.elections.nz

BSA0015_Election_Code_Web_Feb_2020_Hindi_v1.0